

- प्रस्तावित परियोजना का नाम - 132/33 के.व्ही विद्युत उपकेन्द्र,
 • परियोजना में प्रभावित वनभूमि - 1.57 हेक्टेयर
 • पंजीयन क्रमांक/दिनांक - FP/CG/TRANS/19783/2016 Date 17.06.2016
 • परियोजना में प्रभावित स्थल का विवरण -

राजस्व वन भूमि पटवारी हल्का नं. 15	
खसरा क्र.	रकबा हे.
06	0.16
07	1.41
Total :-	1.57

- प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व - 0.1 से कम
- प्रस्तावित क्षेत्र की साईट क्वालिटी - IV B
- प्रत्याशा मूल्य की अनुमानित राशि - 6,87,660.00

भाग 2 के कॉलम नं. 7 (XI, XII), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए टीप - धमतरी वनमंडल के नगरी वन वृक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य (132/33 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण) हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में दुर्लभ, संकटापन्न व विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं प्राणिजात नहीं पाये जाते, और न ही प्रस्तावित स्थल में किसी प्रकार का पुरातत्वीय, पारंपरिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक है। प्रस्तावित राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) की आवश्यकता विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदित स्थल में किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


 वनमंडलाधिकारी
 सामान्य वनमंडल धमतरी